संख्याः आर0ए0प्रथम / सत्ताईस–1(2009–10) 73ली
प्रेषक, दिनांकः 22.2.11

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

कुल सचिव,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषयः **नवीन महाविद्यालय / संस्थान एवं पाठ्यक्रम / विषय की स्थापना / संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके पत्रांक–लो0अ0वि0 / सम्ब0 / ए0एफ0 / 522 / 2010 दिनांक 03.8.2010 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–2284 / सत्तर–2–2009–2(166) / 2002, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ, दिनांक 29 जून, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक् विचारोपरान्त **भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, ग्राम व पोस्ट सीबार, सोहावल फैजाबाद को स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम विषयों में** स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

(1) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(2) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या–3411 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या–193 / सत्तर–2–2003–2(166) / 2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या–585मु.मं. / सत्तर–2–2005–2(166) / 2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 तथा शासनादेश संख्या–743मु.मं. / सत्तर–2–2006–2(166) / 2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएं एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी।

(3) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मॉग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

(4) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय–भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

(7) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की मूल प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण के क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित **ग्राम सीवार, परगना मगलसी , तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद के गाटा संख्या 1173/2.487हे0 में से 0.838हे0, 1187क/0.228हे0, 1191क/0.177हे0, 1193/0.161हे0 कुल क्षे0 1.243हे0** भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जायेगा।

(9) ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

(10) कोई भी सूचना/पत्राजात त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में एन0ओ0सी0 को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— जिलाधिकारी, फैजाबाद।
3— निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4— क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 8—ए, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लखनऊ।
5— निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
6— सचिव/प्रबन्धक, भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, ग्राम व पोस्ट सीबार, सोहावल फैजाबाद।
7— गार्ड फाइल।

(राजीव कुमार)
आयुक्त।